


//सूचना//

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले बंध पत्र के संबंध में

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जो मॉप अप चरण हेतु अपग्रेड का ऑप्शन लेना चाहते हैं, को रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा, कि अभ्यर्थी अपग्रेड न होने की स्थिति में प्रवेशित महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा एवं सीट लिविंग बॉण्ड सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र पर निष्पादित करेगा। शेष समस्त अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण अथवा मॉप अप चरण हेतु अपग्रेड का ऑप्शन नहीं ले रहे हैं उन्हें प्रोफार्मा-2 (ख) के अनुसार ग्रामीण सेवा बॉण्ड एवं सीट लिविंग बॉण्ड 2 (क) पृथक-पृथक सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत) पर निष्पादित करना होगा।



संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश